

फैक्स/ई-मेल
स्मार-01

पत्र संख्या:-15/सी 2-122/2015 -1126
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

कमलेश झा,
उप निदेशक(उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा।

पटना, दिनांक.....16/6/2015


विषय:- एम०जे०सी०संख्या 568/2015 श्री अवनिन्द्र कुमार लाभ बनाम राज्य सरकार व अन्य।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 874 दिनांक-05.05.2015 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है। अंकनीय है कि विषयांकित अवमाननावाद आपके विश्वविद्यालय से संबंधित है एवं सी०डब्लु०जे०सी० संख्या 3672/2013 में दिनांक 02.05.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने से उदभूत हुआ है। मामला श्री अवनिन्द्र कुमार लाभ, लैब-इनचार्ज, वनस्पति विभाग, राजेन्द्र महाविद्यालय, छपरा के बकाये वेतनादि/वेतन के भुगतान से संबंधित है।

विभागीय स्तर पर उपरोक्त अवमाननावाद में कारण पृच्छा दायर करने से पूर्व विश्वविद्यालय स्तर से एक तथ्यपरक साक्ष्यसहित प्रतिवेदन की आवश्यकता है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हो कि वादी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर की गई थी, अथवा नहीं ! साथ ही अवमाननावाद में अंकित अन्य बिन्दुओं पर भी स्पष्ट प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर विभाग में उपलब्ध कराएँ ताकि उक्त अवमाननावाद में ससमय कारण पृच्छा दायर किया जा सके।

अवमाननावाद है; सर्वोच्च प्राथमिकता, कृपया।

विश्वासभाजन,


उप निदेशक(उच्च शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
राजेश